राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोलीवाडा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 184/2010
दायरा तिथि 23.12.2010
फैसला तिथि 02.06.2016

वादीगण–	बनामः	प्रतिवादीगण–
1–अमरसिंह पुत्र केसरसिंहजी 2–मानसिंह पुत्र केसरसिंहजी 3–गणपतसिंह पुत्र केसरसिंहजी जातिगण राजपूत निवासीगण जाखोडा तहसील सुमेरपुर		1–देवीसिंह पुत्र बिडदसिंहजी जाति राजपूत निवासी जाखोडा 2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

उपखण्ड अधिकारी * सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान) सत्यमेव जयते

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

दिनांक 02.06.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–कोलीवाडा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान मय अधिवक्तागण उपस्थित। प्रश्नगत् मामले में पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर ने वादग्रस्त भूमि के बारे में रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। इसके अलावा प्रश्नगत् मामले में पक्षकारान मय अधिवक्ताओं ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा पेश किया, जिसे बाद सत्यापन तस्दीक कर रेकर्ड पर लिया गया। हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप उक्त मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कतिपय प्रावधानों के तहत इस वादपत्र के जरिए सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा नं. 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 कुल रकबा 3.63 हेक्टर में से वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1322 के पूर्वी माठ की तरफ रकबा 0.09 हेक्टर के बारे में खातेदारी घोषणा, बंटवाडा एवं इस घोषित खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी/हस्तक्षेप नहीं करे, इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा गया है। वादीगण की और से वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया संवत् 2029–32, 2065–68, गत् व हाल ट्रेस नक्शे, मिलान क्षेत्रफल व खतौनी बंदोबस्त संवत् 2037–56 की प्रतियां पेश हुई है।

(2) कि कथित वादपत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादी सं.01 ने अपने जवाबदावे में वादपत्र तथ्यों को नकारते हुए वादग्रस्त भूमि पर गत् 50 सालों से प्रतिवादी सं.01 का कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जा सिद्धान्त अनुसार वादीगण का उक्त वादपत्र चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से वादपत्र को भारी कॉस्ट पर खारिज किए जाने हेतु प्रार्थना की है। जवाबदावे के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः प्रार्थना पत्र सेटलमेंट विभाग, जमाबंदिया संवत् 2021–24, 2015–28, 2065–68, ट्रेस नक्शा की प्रतियां पेश हुई है। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार तनकियात बिन्दु सं.01 लगाय 08 कायम किए गये। वादीपक्ष की ओर से शहादत में गवाह वादी अमरसिंह पुत्र केसरसिंहजी व गवाह वादी मानसिंह पुत्र केसरसिंहजी ने तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किए जिन्हें रेकर्ड पर लिया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

(3) कि तत्पश्चात् यह प्रकरण वादीपक्ष की शहादत व जिरह हेतु विचारार्थ रहते आयोजित इस लोक अदालत केम्प में पक्षकारों ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा इस आशय का पेश किया कि "पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में दर्शायी गई भूमि A B C D में दोनों खातेदारों की भूमि के बीच की सीमा रेखा पर 6 मीटर चौडा रास्ता कायम किया जाए जो भूमि प्रतिवादी के हिस्से से ली जाए व इस रास्ते को दर्ज करते समय बीच में आने वाले भवन आदि पक्की संरचनाऐ बदस्तूर बनी रहेगी। यह रास्ता पक्षकारों का शामलाती रहेगा जिसमें कोई पक्ष किसी प्रकार का अवरोध नहीं बनाएगा।" उक्त मामले में पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार ग्राम जाखोडा के खसरा नं. 1324 व 1325 कुल रकबा 1.66 हेक्टर भूमि वादीगण–अमरसिंह, मानसिंह, गणपतसिंह पि. केसरसिंहजी के नाम खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नं. 1322 रकबा 1.84 हेक्टर भूमि प्रतिवादी– देवीसिंह पुत्र बिडदसिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। सेटलमेंट के दौरान पक्षकारों ने 1/2 – 1/2 हिस्से के हिसाब से आपसी सहमति द्वारा बंटवाडा करवाया था, परन्तु वादीगण के हक में रकबा 0.09 हेक्टर भूमि कम व प्रतिवादी सं.01 के हक में रकबा 0.09 हेक्टर भूमि ज्यादा दर्ज कर दी।

परन्तुक, इस प्रकार उल्लेखित विश्लेषण व विवेचन तथ्यों पर विचारण करने के पश्चात् हमारे विधिक विचारों में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे की इबारत अनुसार अर्थात पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की मौका जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा में अंकित मार्क A B C D भूमि दोनों खातेदारों की भूमि के बीच की सीमा रेखा पर 6 मीटर चौडा रास्ता कायम किए जाने हेतु जिसमें उक्त रास्ता भूमि प्रतिवादी के हिस्से में से ही ली जाए व इस रास्ते को दर्ज करते समय बीच में आने वाले भवन आदि पक्की संरचनाऐ बदस्तूर बनी रहेगी और यह रास्ता दोनों पक्षकारों का शामलाती रहेगा जिसमें कोई पक्ष किसी प्रकार का अवरोध नहीं बनाएगा, के अनुरूप इस प्रकरण अन्तर्गत आदेश पारित करना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के अनुरूप वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के आंशिक रूप से स्वीकार व डिक्री किया जाकर सरहद मौजा जाखोडा, पटवार सर्कल कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर में स्थित प्रतिवादी सं.01 की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1322 में से पटवारी हल्का कोलीवाडा व भू–अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर की मौका जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा में अंकित मार्क A B C D भूमि दोनों खातेदारों की भूमि के बीच की सीमा रेखा पर 6 मीटर चौडा रास्ता कायम किए जाने हेतु जिसमें उक्त रास्ता भूमि प्रतिवादी के हिस्से में से ही ली जाए व इस रास्ते को दर्ज करते समय बीच में आने वाले भवन आदि पक्की संरचनाऐ बदस्तूर बनी रहेगी और यह रास्ता दोनों पक्षकारों का शामलाती रहेगा जिसमें कोई पक्ष किसी प्रकार का अवरोध नहीं बनाएगा, के आशय का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार सुमेरपुर व पटवारी हल्का कोलीवाडा उपरोक्त आदेश मुजब राजस्व रेकर्ड में नियमानूसार अमल दरामद व तरमीम कर पालना सुनिश्चित करे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे। नजरी नक्शा इस फैसले का अभिन्न अंग माना जायेगा। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 02.06.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोलीवाडा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

Scanned by CamScanner